न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 26 सन 2018

अनवान :–

1. भूरीदेवी पत्नी रूपगिर जाति गुसाई निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक बाबत नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 6/8/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 888 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की गांव बाच्छुसर में एक हरजीगिर गुसाई निवास करता था जिसके दो लडके सुगनगिर व रूपगिर हुऐ । सुगनगिर की शादि भूरीदेवी वादीया से सन 1958 में हुई तथा शादी के एक साल बाद ही सुगनगिर फौत हो गया तथा सुगनगिर के कोई औलाद नरीना नही थी तथा सुगनगिर की मृत्यू के बाद भूरीदेवी वादीया ने रूपगिर के साथ शादी कर ली थी और भूरीदेवी पत्नि रूपगिर के रूप में जीवन यापन कर रही है जो ग्राम पचायत की तस्दीक , मृत्यू प्रमाण पत्र सुगनगिर व भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र , आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड से पूर्णत्या साबित है।

रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 82/73 के खसरा न0 16/1 की कुल 8.7260हैक भूमि में वादीया अपने पति रूपगिर पुत्र हरजीगिर के साथ मुश्तरका दर्ज है तथा रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 115/67 के खसरा न0 289 की 8.9410हैक व खसरा न0 304 की 1.6190हैक की वादीया अकेली खातेदार काश्तकार है दोनो खातों में वादीया के पति का नाम सुगनगिर दर्ज है जबकि वादीया का वर्तमान में पति रूपगिर है।

उक्त भूमि में वादीया के पति का नाम सुगनगिर दर्ज है व अन्य सभी दस्तावेजात में वादीया के पति का नाम रूपगिर दर्ज है वादीया का राजस्व रिकार्ड में पूर्व पति सुगरगिर का नाम दर्ज होने से वादीया को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली किसी भी सुविधा का लाभ नही मिल पा रहा है जिससे वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादीया ने कई बार प्रतिवादी सख्या 1 को वादीया के पति का नाम सुगनगिर के स्थान पर रूपगिर दर्ज करने हेतु कई बार निवेदन किया किन्तु कोई कार्यवाही नही की गई एवं सुझाव दिया गया की सक्षम कोर्ट से नाम संशोधन करवाया जावे इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 82/73 के खसरा न0 16/1 की कुल 8.7260हैक भूमि , एव रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 115/67 के खसरा न0 289 की 8.9410हैक व खसरा न0 304 की 1.6190हैक भूमि में वादीया के पति का नाम सुगनगिर के स्थान पर रूपगिर दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वादीया का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 के और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर जबाब पेश किया की रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 82/73 के खसरा न0 16/1 की कुल 8.7260हैक भूमि , एव रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 115/67 के खसरा न0 289 की 8.9410हैक व खसरा न0 304 की 1.6190हैक भूमि भूरी बेवा सुगनगिर व रूपगिर पुत्र हरजीगिर के नाम से दर्ज है सुगनगिर फोत होने के पश्चात भूमि नियमानुसार भूरी के नाम से दर्ज हुई है सुगनगिर की मृत्यू पश्चात भूरीदेवी ने रूपगिर से शादी कर ली तत्समय से ही राजस्व रिकार्ड में भूरी के पति का

Scanned with CamScanner

नाम सुगनगिर एवं अन्य दस्तावेजात में रूपगिर दर्ज चला आ रहा है वर्तमान में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है साक्ष्य सबुतों के आधार पर नाम संशोधन किया जा सकता है। जबाब शामिल किस्त किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील वादीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गांव बाच्छुसर में एक हरजीगिर गुसाई निवास करता था जिसके दो लडके सुगनगिर व रूपगिर हुऐ । सुगनगिर की शादि भूरीदेवी वादीया से सन 1958 में हुई तथा शादी के एक साल बाद ही सुगनगिर फौत हो गया तथा सुगनगिर के कोई औलाद नरीना नही थी तथा सुगनगिर की मृत्यू के बाद भूरीदेवी वादीया ने रूपगिर के साथ शादी कर ली थी और भूरीदेवी पत्नि रूपगिर के रूप में जीवन यापन कर रही है जो ग्राम पचायत की तस्दीक , मृत्यू प्रमाण पत्र सुगनगिर व भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र , आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड से पूर्णत्या साबित है।

रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 82/73 के खसरा न0 16/1 की कुल 8.7260हैक भूमि में वादीया अपने पति रूपगिर पुत्र हरजीगिर के साथ मुश्तरका दर्ज है तथा रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 115/67 के खसरा न0 289 की 8.9410हैक व खसरा न0 304 की 1.6190हैक की वादीया अकेली खातेदार काश्तकार है दोनो खातों में वादीया के पति का नाम सुगनगिर दर्ज है जबकि वादीया का वर्तमान में पति रूपगिर है।

उक्त भूमि में वादीया के पति का नाम सुगनगिर दर्ज है व अन्य सभी दस्तावेजात में वादीया के पति का नाम रूपगिर दर्ज है वादीया का राजस्व रिकार्ड में पूर्व पति सुगरगिर का नाम दर्ज होने से वादीया को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली किसी भी सुविधा का लाभ नही मिल पा रहा है जिससे वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 82/73 के खसरा न0 16/1 की कुल 8.7260हैक भूमि , एव रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 115/67 के खसरा न0 289 की 8.9410हैक व खसरा न0 304 की 1.6190हैक भूमि में वादीया के पति का नाम सुगनगिर के स्थान पर रूपगिर दर्ज करने के आदेश फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 82/73 के खसरा न0 16/1 की कुल 8.7260हैक भूमि , एव रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 115/67 के खसरा न0 289 की 8.9410हैक व खसरा न0 304 की 1.6190हैक भूमि भूरी बेवा सुगनगिर व रूपगिर पुत्र हरजीगिर के नाम से दर्ज है सुगनगिर फोत होने के पश्चात भूमि नियमानुसार भूरी के नाम से दर्ज हुई है सुगनगिर की मृत्यू पश्चात भूरीदेवी ने रूपगिर से शादी कर ली तत्समय से ही राजस्व रिकार्ड में भूरी के पति का नाम सुगरगिर एवं अन्य दस्तावेजात में रूपगिर दर्ज चला आ रहा है वर्तमान में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है साक्ष्य सबुतों के आधार पर नाम संशोधन किया जा सकता है।

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 82/73 के खसरा न0 16/1 की कुल 8.7260हैक भूमि में वादीया अपने पति रूपगिर पुत्र हरजीगिर के साथ मुश्तरका दर्ज है तथा रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 115/67 के खसरा न0 289 की 8.9410हैक व खसरा न0 304 की 1.6190हैक की वादीया अकेली खातेदार काश्तकार है।

वादीया का कथन है कि वादीया की शादी पहले सुगनगिर के साथ हुई थी सुगनगिर के देहान्त होने के बाद वादीया ने रूपगिर से शादी कर ली थी आज भी रूपगिर की पत्नि के रूप में निवास कर रही है। वादीया के कथनों को पेरोकार राज ने भी स्वीकार किया जाकर अपने जबाब में अंकित किया गया है कि वादीया ने सुगनगिर के देहान्त होने के बाद रूपगिर से शादी की गई है। उक्त तथ्यों के समर्थन में वादीया ने ग्राम पचायत का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है जिससे वादीया के कथनों की पूष्टि होती है।

वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सुगनगिर का मृत्यू प्रमाण पत्र , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ,आम आदमी का आधार कार्ड, राजस्थान सरकार का भामाशाह कार्ड सभी दस्तावेजात में वादीया के पति का नाम रूपगिर दर्ज है तथा ग्राम पंचायत मन्दरपुरा के

Scanned with CamScanner

द्वारा जारी प्रमाण पत्र जारी किया गया है वादीया का वर्तमान मे पति रूपगिर है पूर्व में सुगनगिर था जिसकी मृत्यू उपरान्त रूपगिर से शादी की गई है।

इसप्रकार वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं पेरोकार राज के द्वारा वादीया के कथनों को स्वीकार करने एवं ग्राम पंचायत मन्दरपुरा के प्रमाण पत्र के आधार पर वादीया का वाद काबिल डिक्री है।

अतः वादीया का वाद साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 82/73 के खसरा न0 16/1 की कुल 8.7260हैक भूमि तथा रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 115/67 के खसरा न0 289 की 8.9410हैक व खसरा न0 304 की 1.6190हैक भूमि में वादीया के पती का नाम सुगनगिर दर्ज है के स्थान पर सुगनगिर उर्फ रूपगिर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. भूरीदेवी पत्नी रूपगिर जाति गुसाई निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 18 सन 2018 निर्णय दिनांक– 6/8/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 82/73 के खसरा न0 16/1 की कुल 8.7260हैक भूमि तथा रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 115/67 के खसरा न0 289 की 8.9410हैक व खसरा न0 304 की 1.6190हैक भूमि में वादीया के धती का नाम सुगनगिर दर्ज है के स्थान पर सुगनगिर उर्फ रूपगिर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/08/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner